



पंजाबी एक्टर और सिंगर दिलजीत दोसांझ की फिल्म सतलुज पूरी तरह बैन

पंजाबी एक्टर और सिंगर दिलजीत दोसांझ की फिल्म सतलुज अब पूरी तरह बैन हो गई है। इसे डबल प्लेटफॉर्म ेए5 की ग्लोबल कैटेगरी से भी हटा दिया गया है। इस फिल्म को अब विदेश में भी नहीं देखा जा सकेगा। इसी के साथ फिल्म के कंटेंट की जांच के लिए गठित केन्द्रीय समिति ने भी सिफारिश कर दी है कि फिल्म को बैन ही रहने दिया जाए। क्योंकि, फिल्म भारत की संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ है। सरकारी सूत्रों से हवाले से यह जानकारी शनिवार को न्यूज एजेंसी डेस्क ने दी। सूत्रों के अनुसार, समिति ने इस बात पर जोर दिया कि कळ अधिनियम की धारा 69अ के तहत फिल्म पर प्रतिबंध

लगाना उचित था। इसमें पाया गया कि फिल्म की कहानी संतुलित नहीं है, क्योंकि यह उग्रवादियों के कृत्यों को छिपाती है। जबकि, उग्रवाद के दौरान पंजाब में सुरक्षा बलों की ओर से की गई ज्यादतियों को उजागर करती है। यह फिल्म मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालड़ा के जीवन को दर्शाती है, जिन्होंने 1984 और 1994 के बीच पंजाब में हजारों अज्ञात शवों के दाह संस्कार की जांच की थी। 1995 में पंजाब पुलिस ने उनका अपहरण कर हत्या कर दी थी। सुरक्षा संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 3 जुलाई को रिलीज होने के 2 दिन बाद ही इस फिल्म को भारत में ेए5 से हटा दिया था। इसके बाद मंत्रालय ने फिल्म की विस्तृत जांच के लिए सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 के तहत एक अंतर-विभागीय समिति (आईडीसी) का गठन किया था। उसी समिति ने इसे बैन रखने की सिफारिश की है।

इस फिल्म में ऐसा क्या है, जिससे इसे बैन किया गया?

यह फिल्म प्रसिद्ध मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालड़ा के जीवन और संघर्ष पर आधारित है। फिल्म में खालड़ा का रोल दिलजीत दोसांझ ने निभाया है। इसमें खालड़ा द्वारा 1980 और 1990 के दशक में पंजाब में उग्रवाद के दौर में पुलिस की ओर से लावारिस बताकर जलाए गए सिखों के शवों की खोज और उनके दस्तावेजीकरण की कहानी को दर्शाया गया है। फिल्म दिखाती है कि खालड़ा ने अमृतसर और तरनतारन के श्मशान घाटों से नगर निगम के रिकॉर्ड हासिल किए, जिससे साबित हुआ कि पुलिस ने हजारों युवाओं को अवैध हिरासत में लेकर मार डाला। इस दौरान साहस दिखाकर राज्य के सिस्टम के सामने खालड़ा खड़े रहे। दुनिया के सामने सच लाने के बाद सितंबर 1995 में पंजाब पुलिस ने खालड़ा की भी हत्या कर दी।

फिल्म की किन चीजों पर विवाद हुआ?

फिल्म सीन्स का देश विरोध में इस्तेमाल: केन्द्र सरकार की उच्च स्तरीय समीक्षा समिति और सरकारी सूत्रों के अनुसार, यह फिल्म भारत की संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ जाती है। सरकार का मानना है कि फिल्म के कुछ हिस्सों का इस्तेमाल देश विरोधी ताकतों द्वारा किया जा सकता है। नैरेटिव संतुलित नहीं: सरकारी समिति ने अपनी समीक्षा में पाया कि फिल्म का नैरेटिव संतुलित नहीं है।



आमिर खान सिलक्यारा टनल हादसे पर बनाएंगे फिल्म

आमिर खान की नई फिल्म 'सिलक्यारा 41' की स्क्रिप्ट ऑस्ट्रेलिया में लिखी जा चुकी है। आमिर खान ने एक दिन पहले 2023 में उत्तरकाशी की सिलक्यारा-बड़कोट सुरंग में 17 दिनों तक फंसे 41 मजदूरों के रेस्क्यू ऑपरेशन पर फिल्म बनाने की घोषणा की थी। फिल्म का निर्देशन कबीर खान करेंगे। शुरूआती प्री-प्रोडक्शन का काम ऑस्ट्रेलिया में होगा। फिल्म का निर्माण आमिर खान प्रोडक्शंस, ऑस्ट्रेलिया की माइंड ब्लोइंग फिल्म्स और कबीर खान फिल्म्स मिलकर करेंगे।

आमिर खान ने 5 जुलाई को अपनी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रेट से शादी की। शादी के बाद हनीमून के लिए आमिर खान ऑस्ट्रेलिया में हैं। आमिर खान के बेटे आजाद और गौरी स्प्रेट के बेटे विवन भी उनके साथ हैं। इसी दौरान भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक अहम सिनेमाई सहयोग के तहत आमिर खान प्रोडक्शंस ने मेलबर्न स्थित प्रोडक्शन हाउस माइंड ब्लोइंग फिल्म्स के साथ मिलकर 'सिलक्यारा 41' बनाने की घोषणा की है। मेलबर्न के इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न ने शुक्रवार को अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर फिल्म की आधिकारिक घोषणा की।

'मुझे अपना घर पब्लिक टॉयलेट लगता था', कॉमेडियन राजीव ठाकुर ने बताया- एक कमरे में गुजरा बचपन



कॉमेडियन राजीव ठाकुर ने हाल ही में बताया कि उनका परिवार एक कमरे के घर में रहता था, जहां बेडरूम, किचन और बाथरूम, सब कुछ उसी कमरे में था। 1984 के दंगों में उनके पिता की फैक्ट्री बर्बाद हो गई थी, जिससे परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी।

वैभव मुंजाल के पॉडकास्ट में राजीव अपने शुरूआती दिनों को याद करते हुए इमोशनल हो गए। उन्होंने कहा कि वह अपनी जिंदगी के उस दौर के बारे में ज्यादा बात करना पसंद नहीं करते क्योंकि उन दिनों की यादें आज भी उन्हें दर्द देती हैं।

उन्होंने कहा, मेरा सफर ऐसे हालात में शुरू हुआ, जिन्हें मैं याद भी नहीं करना चाहता। अगर आज मैं लोगों को इसके बारे में बताऊं तो उन्हें यह मनगढ़ंत लग सकता है। कई लोग कहते हैं कि अपने दर्द को स्टैंड-अप कॉमेडी में बदल दो। मैं कभी-कभी ऐसा करता हूँ, लेकिन उन जोक्स को सुनते समय भी दर्द इतना असली होता है कि मैं बैकस्टेज जाकर रो पड़ता हूँ।

पूरा परिवार एक कमरे में रहता था

राजीव ने बताया कि उनके माता-पिता की शादी के बाद परिवार की परिस्थितियां पूरी तरह बदल गई थीं। उनके मुताबिक, पिता को पुरैतनी घर छोड़ना पड़ा और पूरा परिवार एक कमरे के मकान में रहने लगा। उन्होंने आगे कहा, हववही एक कमरा आपका बाथरूम है। वही कमरा किचन है। वही ड्राइंग रूम है। वही बेडरूम है। उस घर में तीन भाई-बहन हुए हैं। आप सोचो कि बाथरूम भी वही है, बेडरूम भी वही है, किचन भी वही है, तो जब कोई अंदर नहा रहा होता था या कुछ भी कर रहा होता था, तब बाकी चार लोग घर के बाहर बैठे होते थे। मुझे अपना

घर पब्लिक टॉयलेट लगता था। सिर्फ 2 रुपए नहीं मिल रहे थे बाहर बैठने के लहू

दंगों में पिता की फैक्ट्री बर्बाद हुई थी

राजीव ने यह भी बताया कि अमृतसर में उनके पिता की धागे की फैक्ट्री थी, जो 1984 के दंगों के दौरान बर्बाद हो गई। इसके बाद पिता बेरोजगार हो गए और परिवार के सामने आर्थिक स्थिति खराब हो गई। उन्होंने कहा कि कई बार किराया देना भी मुश्किल हो जाता था।

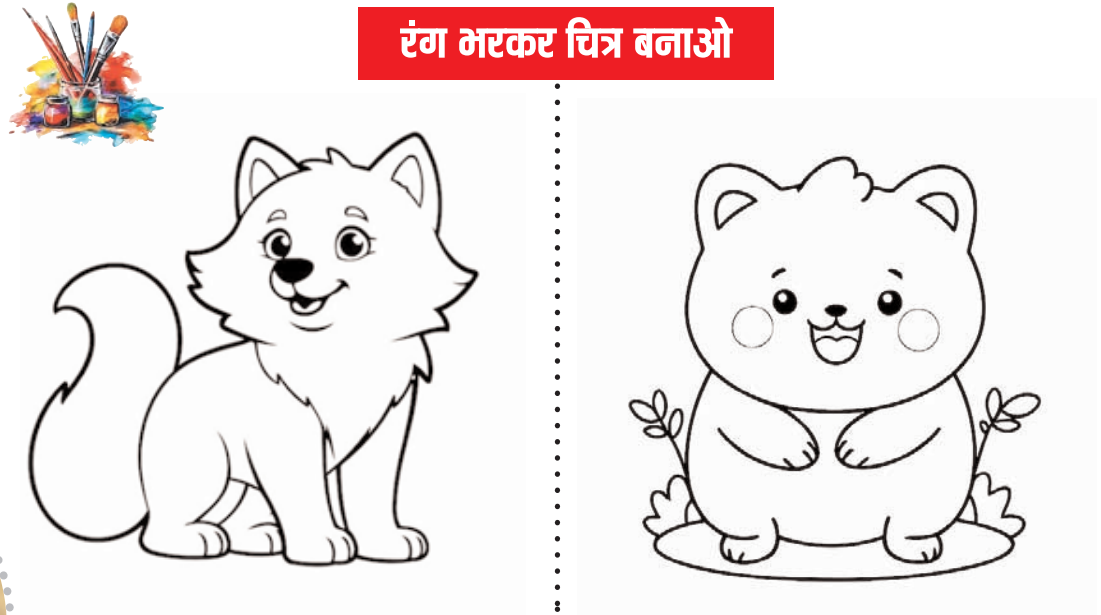


राजीव ने अपने बचपन की परिस्थितियों का जिक्र करते हुए बताया कि घर में केवल 40 वॉट का एक बल्ब था। उन्होंने कहा कि उन्हें सफेद रोशनी देखने की इच्छा होती थी क्योंकि उनके घर में द्यूबलाइट नहीं थी। उन्होंने यह भी बताया कि मकान मालिक रात 9 बजे बिजली बंद कर देता था, जिसके बाद परिवार या तो सो जाता था या मिट्टी के तेल के दीये की रोशनी में समय बिताता था। राजीव ठाकुर ने मुंबई आने से पहले अमृतसर में कपिल शर्मा और चंदन प्रभाकर के साथ अपने कॉमेडी सफर की शुरूआत की थी। उन्होंने साल 2007 में 'द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज' (सीजन 3) में भाग लिया था। इस सीजन के विनर कपिल शर्मा बने थे। राजीव ठाकुर ने 'कॉमेडी सर्कस' और 'सजन रे झुट मत बोलो' जैसे कई अन्य टेलीविजन शोज में काम किया।

हरियाणवी गाने

मोला-मोली की रील पर विवाद

हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री के कलाकार पूजा हुड्डा और प्रदीप बुरा का नया गाना "मोला मोली" रिलीज होते ही विवादों में घिर गया है। हरिद्वार की हर की पौड़ी पर शूट की गई एक रील को लेकर सोशल मीडिया पर दोनों को जमकर टोल किया जा रहा है। रील में गंगा नदी में प्रदीप बुरा अपनी पत्नी पूजा हुड्डा को गोद में उठाए नजर आ रहे हैं। बैकग्राउंड में गाना बज रहा है, 'एक घाट पै मोली खड़ी अर एक घाट पै भोला, अरदास करें मां गंगा ते म्हारा मेल करा दे तौला।' दोनों के भीगे कपड़ों और धार्मिक स्थल पर फिल्माए गए इस दृश्य पर कुछ लोगों ने आपत्ति जताते हुए इसे धार्मिक आस्था और हर की पौड़ी की गरिमा के खिलाफ बताया है। एक यूजर ने लिखा कि इन पर भोले बाबा नहीं, इमरान हाशमी सूट करेगा। विवाद बढ़ने के बाद प्रदीप बुरा ने दैनिक भास्कर से बातचीत में अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ पति-पत्नी के प्रेम पर आधारित म्यूजिक वीडियो का हिस्सा है और इसमें कुछ भी अश्लील नहीं है।



जोक्स

पिता (बेटे पर गुस्सा करते हुए) - एक काम ढंग से नहीं होता तुझसे।
तुम्हें पुदीना लाने के लिए कहा था और तुम धनिया ले आए...
तुझ जैसे बेवकूफ को तो घर से निकाल देना चाहिए...!
बेटा - पापा चलो इकट्ठे ही चलते हैं...
पिता - क्यों...?
बेटा - क्योंकि मम्मी कह रही थी कि ये मेथी है...!!!
00000000000

वर्ग पहेली

वर्ग पहेली

बाएं से दाएं
1. अचंभा, आश्चर्य-4
3. अच्छी रुचि, कलात्मक रुचि-3
6. पिता के छोटे भाई, काका-2
7. माह, मास-3
9. धावक (अंग्रेजी)-3)
11. नया जीवन, उद्धार होना-5
12. लक्ष्मी, धन की देवी-3
15. बुरी आदत-2
16. गंदगी-2
18. देवमुनि, देवर्षि-3
20. शिकायत करना-5
22. रनिवास-3
24. बेकार, आवारा-3
26. छोटा टुकड़ा-2
27. अभिनय, कथा मंचन-3
28. सुगंध फैलाना-4
ऊपर से नीचे
1. सहसा, अकस्मात-4
2. एक प्रकार की शराब-2
3. प्रतिभाशाली-3
5. मननशील-5
6. चतुर्थ-2
8. नाव खेना-2,3
10. पासे फेंककर भविष्य जानने की विद्या-3
13. पैर मारना-5
14. मन की इच्छा-5
17. प्रकार-3
19. दूटना, बिखरना-4
21. पराजित होना, हारना-3
23. चालीस किलो के वजन को यह भी कहते हैं-2
25. पथ, रास्ता, मार्ग-2

माथा पच्ची

संकेत

खाली जगहों में आपको केवल (+), (-), (x) व (÷) के निशान लगाने हैं, जिनका उत्तर (=) पूर्णतः मेल खाता हो.

शब्दों का जाल

शब्दजाल में दस धार्मिक स्थलों के नाम दूँदिए. नाम ऊपर से नीचे व तिरछे हो सकते हैं.

हरिद्वार, गंगोत्री, वैष्णोदेवी, बद्रीनाथ, नासिक, केदारनाथ, अमरनाथ, ऋषिकेश, काशी, वाराणसी

अष्टयोग

माथा पच्ची का हल

अष्टयोग का हल

शब्दजाल का हल

सूडोकू नवताल-

सूडोकू नवताल ! का हल

प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरे जाने आवश्यक हैं.
प्रत्येक आड़ी और खड़ी पंक्ति में एवं 3x3 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो इसका विशेष ध्यान रखें.
पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते.
पहेली का केवल एक ही हल है.

पंजाब कांग्रेस में वड़िंग-चन्नी की लड़ाई, पावरफुल दिल्ली हुई, भूपेश बघेल नए पावर सेंटर



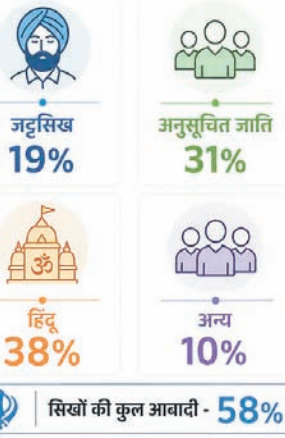
पंजाब कांग्रेस में पिछले 5 दिनों तक चले सियासी घटनाक्रम का सबसे बड़ा नतीजा न तो राजा वड़िंग की जीत है और न ही चरणजीत सिंह चन्नी की हार। असली बदलाव यह है कि पार्टी के भीतर फैसलों का केंद्र पहले से ज्यादा दिल्ली हो गया है। चन्नी खेमे ने प्रदेश अध्यक्ष बदलने की मांग रखी, वड़िंग अपने पद पर कायम रहे, लेकिन अंतिम फैसला किसी गुट ने नहीं, बल्कि हाईकमान ने लिया। पंजाब प्रभारी भूपेश बघेल ने दोनों पक्षों की बातें सुनकर साफ कर दिया कि सभी नेताओं की राय दिल्ली तक जाएगी और टिकट जीतने की क्षमता के आधार पर तय होंगे।

साथ ही यह भी साफ हो गया कि पंजाब कांग्रेस के नेतृत्व में कोई बदलाव नहीं होगा। राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो इस पूरे घटनाक्रम ने हाईकमान की भूमिका और मजबूत कर दी है। जबकि, पंजाब के नेताओं की अगली राजनीतिक लड़ाई अब दिल्ली में प्रभाव बनाने की होगी।

वड़िंग को क्या मिला: कुर्सी बची, लेकिन परीक्षा अभी बाकी

पिछले एक सप्ताह से प्रदेश अध्यक्ष बदलने की मांग सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनी रही। इसके बावजूद हाईकमान ने 23 जिला अध्यक्ष राजा वड़िंग के गुट के होने की वजह से नेतृत्व परिवर्तन से इनकार कर दिया। इससे राजा वड़िंग को तत्काल राहत मिली और उनका संगठनात्मक अधिकार

पंजाब का जातीय समीकरण



अपने समर्थकों के साथ थे, दूसरी तरफ चन्नी और रंधावा नेतृत्व परिवर्तन की मांग कर रहे थे। लेकिन, अंतिम फैसला न चंडीगढ़ में हुआ और न किसी गुट के दबाव में। सभी पक्षों को अपनी बात हाईकमान तक पहुंचानी पड़ी। इससे साफ संकेत गया कि पंजाब कांग्रेस में संगठन, टिकट और बड़े राजनीतिक फैसलों की अंतिम चाबी अब भी दिल्ली के पास ही है। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक, इस घटनाक्रम ने केंद्रीय नेतृत्व की पकड़ और मजबूत कर दी है।

पंजाब कांग्रेस की कलह, कब-क्या हुआ?

1 1 जुलाई:
कांग्रेस हाईकमान ने नई संगठनात्मक सूची जारी की। वड़िंग प्रधान, जबकि चन्नी कैपेन कमेट्री चेयरमैन बनाए।

3 3 जुलाई:
चन्नी ने समर्थकों संग मोहाली आवास पर मीटिंग की। इसमें वड़िंग को पद से हटाने की मांग दोहराई गई।

5 5 जुलाई:
कांग्रेस हाईकमान ने पंजाब प्रभारी भूपेश बघेल का 5 दिन का चंडीगढ़ दौरा तय किया।

7 7 जुलाई:
चंडीगढ़ स्थित कांग्रेस भवन में भूपेश बघेल ने बैठक की। चन्नी खेमे ने दूरी बनाई।

9 9 जुलाई:
प्रभारी भूपेश बघेल ने पूर्व CM राजिंदर कौर भटल और पूर्व मंत्री ब्रह्म महिंद्रा से मुलाकात की। चन्नी गुट ने मीटिंग कर बघेल से मुलाकात का फैसला किया।

11 11 जुलाई:
चन्नी गुट की बघेल के साथ मीटिंग हुई। सभी ने राजा वड़िंग को लेकर कहा कि कंप्रोमाइज्ड लीडर नहीं चाहिए।

2 2 जुलाई:
चन्नी खेमे ने नाराजगी जताई। समर्थकों ने चन्नी को PCC चीफ बनाने की मांग की।

4 4 जुलाई:
प्रदेश प्रधान राजा वड़िंग भी ग्राउंड पर उतरे और अपने समर्थक नेताओं से मुलाकात की।

6 6 जुलाई:
प्रभारी भूपेश बघेल चंडीगढ़ पहुंचे। चन्नी गुट ने अलग से मीटिंग की। सांसद सुखजिंदर रंधावा भी नजर आए।

8 8 जुलाई:
भूपेश बघेल ने स्पष्ट किया कि वड़िंग ही प्रधान बने रहेंगे। चन्नी ने कहा कि यह राहुल गांधी तय करेंगे।

10 10 जुलाई:
सुबह चन्नी गुट के साथ भूपेश बघेल की मीटिंग टली। शाम को चन्नी समेत 3 नेताओं के साथ बघेल की मीटिंग फिक्स हुई।

बरकरार रहा।

हालांकि, इस विवाद ने यह भी दिखा दिया कि पार्टी के भीतर उनके नेतृत्व को लेकर सवाल मौजूद हैं। अब उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती संगठन को एकजुट रखना और यह साबित करना होगा कि मौजूदा नेतृत्व में कांग्रेस 2027 का चुनाव मजबूती से लड़ सकती है।

चन्नी को क्या मिला: बात सुनी गई, राजनीतिक वजन भी दिखा

चरणजीत सिंह चन्नी नेतृत्व परिवर्तन नहीं करा सके, लेकिन यह जरूर साबित कर दिया कि उन्हें नजरअंदाज करना कांग्रेस के लिए आसान नहीं है। उनकी नाराजगी के बाद अलग बैठक हुई, उनके तर्क सुने गए और प्रभारी ने भरोसा दिया कि पूरी रिपोर्ट हाईकमान तक जाएगी।

इससे यह संदेश गया कि पंजाब कांग्रेस में चन्नी अब भी सबसे प्रभावशाली नेताओं में हैं। खासकर, करीब 32% दलित वोट बैंक को कांग्रेस नाराज नहीं करना चाहती। हालांकि, चन्नी को भी यह स्पष्ट संकेत मिला कि केवल राजनीतिक दबाव से संगठनात्मक फैसले नहीं बदलेंगे।

इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा राजनीतिक लाभ केंद्रीय नेतृत्व को मिला। एक तरफ वड़िंग

देश-विदेश/ट्रेडिंग

टाटा के सिंगूर छोड़ने के बाद हजारों परिवार आर्थिक और मानसिक संकट से गुजरते रहे

बंगाल में 20 साल बाद टाटा की वापसी संभव, सीएम सुवेंदु खुद मामले को देख रहे; ममता के आंदोलन से बंद हुआ था प्लांट



ब्रह्मास्त्र ►► पश्चिम बंगाल

पश्चिम बंगाल के सिंगूर में करीब दो दशक पहले टाटा की नैनो परियोजना को लेकर शुरू हुआ विवाद एक बार फिर सुर्खियों में है। राज्य में भाजपा सरकार बनने के बाद टाटा समूह की सिंगूर में वापसी को लेकर चर्चा तेज हो रही है।

राज्य के उद्योग मंत्री तापस रॉय ने कहा कि टाटा के साथ शुरूआती स्तर पर बातचीत चल रही है। अगर टाटा ग्रुप लौटने को तैयार होता है तो सरकार वहां किसी दूसरी कंपनी को नहीं लाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी खुद मामले की निगरानी कर रहे हैं। हालांकि, जिन किसानों ने 2006 में नैनो के लिए अपनी जमीन दी थी, उनके लिए यह अधूरा सपना है। टाटा के सिंगूर छोड़ने के बाद हजारों परिवार आर्थिक और मानसिक संकट से गुजरते रहे।

रेप के आरोपी ने जमानत मिलते ही 6 हत्याएं कीं, पहले पत्नी-बच्चों, फिर पीड़ित और उसके परिवार को मार डाला



ब्रह्मास्त्र ►► रंगा रेड्डी

तेलंगाना के रंगा रेड्डी जिले में नाबालिग से रेप के एक आरोपी ने शुक्रवार रात जमानत पर बाहर आते ही 6 हत्याएं कर दीं। पहले उसने अपनी 30 साल की पत्नी, 4 साल और 18 महीने के दो बेटों की हत्या की।

इसके बाद वह करीब 6 किलोमीटर दूर दूसरे गांव पहुंचा। जहां उसने 17 साल की रेप पीड़ित, उसकी मां और नानी को भी मार दिया। लड़की ने 16 मई को पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी राजकुमार के खिलाफ रेप का केस दर्ज कराया था।

लड़की के मामा नरेश ने बताया, उसने मेरी चाची और भांजी की हत्या कर दी। उसने पहले भी लड़की को परेशान किया था और उस पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। उसने धमकी दी थी

मोदी बोले- मैं 25 साल पुराना मफलर पहनकर न्यूजीलैंड आया

ब्रह्मास्त्र ►► नई दिल्ली

पीएम मोदी ने शनिवार को न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने करीब तीन दशक पुराना किस्सा सुनाया। पीएम ने कहा- 25-30 साल पहले जब मैं किसी सरकार का हिस्सा नहीं था, तब मुझे यहां आने का मौका मिला था। उस समय मुझे किसी ने गिफ्ट में 3 चीजें दीं, जो मैं भारत लेकर गया। एक- मफलर, दूसरी- कैप और तीसरा- एक सेट दस्ताना। उसमें भी एक चीज मैं अभी यहां इस कार्यक्रम में भी लेकर आया हूं। इस मफलर को मैंने कई बार इस्तेमाल किया और आज भी संभाल कर रखा है।

पीएम ने आगे कहा कि हमारे लिए सामने वाले देश की जनसंख्या नहीं, जनकल्याण की भावना मायने रखती है। और इसलिए हमने न्यूजीलैंड से भी बहुत कुछ सीखा है और अब भी सीख रहे हैं। इस कार्यक्रम के बाद मोदी भारत के लिए रवाना हो गए।

ये कोलेब का जमाना है, दोनों देश साथ: अगर हम कंटेंट क्रिएटर्स की भाषा में बात करें तो ये कोलेब का जमाना है। दोनों देश स्पोर्ट्स में भी बहुत शानदार कोलेब कर सकते हैं। रग्बी इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। भारत रग्बी में न्यूजीलैंड से सीखना चाहता है। हमें कोच चाहिए, एक्सपर्ट चाहिए। न्यूजीलैंड हमारी बहुत मदद कर सकता है।

चंद्रयान की लैंडिंग पर न्यूजीलैंड नाच रहा था: भारत और न्यूजीलैंड का भविष्य जुड़ा है। स्पेस से सेक्टर इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। भारत का चंद्रयान जब मून के साउथ पोल पर लैंड किया तो न्यूजीलैंड नाच रहा था। उस दिन हमें गर्व हुआ। यहां की स्पेस कंपनियों ने कई बार हमारे साथ मिलकर काम किया है।

करीब 3,600 ऐसे परिवारों को आज भी सरकार हर महीने दो हजार रुपये और 16 किलो चावल देती है, लेकिन कई परिवार अब भी उस सदमे से उबर नहीं पाए हैं। 75 साल की अंगूर दास बताती हैं कि उनके पति ने छह बीघा जमीन परियोजना के लिए दी थी। टाटा के जाने के बाद वे गहरे सदमे में चले गए और वर्ष 2019 में उनका निधन हो गया। अंगूर दास कहती हैं कि यदि टाटा दोबारा लौटती है तो वे अपनी बची हुई जमीन भी देने को तैयार हैं। जब सिंगूर आंदोलन चल रहा था तब अनिघ दास महज 12 साल के थे। आज 32 साल के अनिघ को रोजगार के लिए कोलकाता जाना पड़ता है। उनका कहना है कि यदि फैक्ट्री लग गई होती तो उन्हें रोज शहर जाकर नौकरी नहीं करनी पड़ती। उनके पिता ने भी जमीन दी थी, लेकिन आज वह जमीन भी खेती के योग्य नहीं बची है।

20 साल में 15 गुना बढ़ी जमीन की कीमत

भूमि अधिग्रहण के समर्थन में बनी सिंगूर शिल्प विकास समिति के अध्यक्ष डॉ. उदयन दास का कहना है कि वर्ष 2006 के बाद से जमीन की कीमतों में लगभग 15 गुना वृद्धि हो चुकी है। उनके मुताबिक सड़क किनारे की जमीन, जिसकी कीमत उस समय करीब तीन लाख रुपये प्रति बीघा थी, अब एक करोड़ रुपये प्रति बीघा तक पहुंच गई है।

ऐसे में यदि टाटा दोबारा लौटती है तो केवल मुआवजे पर ही 1,300 करोड़ रुपये से अधिक खर्च करना पड़ सकता है। यही वजह है कि उनकी नजर में टाटा की वापसी आसान नहीं होगी।

वर्तमान में सिंगूर की वह 997 एकड़ जमीन, जहां कभी नैनो परियोजना शुरू हुई थी, बड़े हिस्से में झाड़ियों से ढकी पड़ी है। कभी यह इलाका पश्चिम बंगाल की सबसे उपजाऊ कृषि भूमि माना जाता था, जहां धान, आलू और अन्य फसलें होती थीं। लेकिन परियोजना रुकने के बाद खेती भी प्रभावित हुई और बड़ी संख्या में किसान रोजगार की तलाश में दूसरे क्षेत्रों में चले गए। हालांकि, सिंगूर में सभी लोग टाटा की वापसी के पक्ष में नहीं हैं। सिंगूर कृषि रक्षा समिति के प्रमुख सदस्य प्रबीर पात्रा का कहना है कि उनका विरोध उद्योगों से नहीं था और न ही आज है। उनका कहना है कि उनका संघर्ष केवल तीन फसली उपजाऊ जमीन को बचाने के लिए था और यदि फिर से ऐसी स्थिति बनती है तो वे दोबारा आंदोलन

खासरेभेड़ी गांव के स्वरूप दास ने भी दो बीघा जमीन परियोजना के लिए दी थी। वे बताते हैं कि मुआवजा मिलने के बाद वे दुबई चले गए थे, जबकि उनके दोनों भाइयों का चयन टाटा ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रशिक्षण के लिए किया था। उत्तराखंड में ट्रेनिंग शुरू हो चुकी थी और नौकरी की उम्मीद भी थी, लेकिन परियोजना बंद होने के साथ सारे सपने टूट गए। उनका कहना है कि यदि आज टाटा या कोई दूसरी बड़ी कंपनी आती है तो वे फिर जमीन देने के लिए तैयार हैं।

POCSO एक्ट क्या है?

POCSO (Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012) बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा देने के लिए बनाया गया कानून है। यह 18 साल से कम उम्र के सभी बच्चों पर लागू होता है।

किन अपराधों में लागू होता है?

दुष्कर्म

यौन उत्पीड़न

छेड़छाड़

अश्लील वीडियो/फोटो बनाना या दिखाना

कितनी सजा होती है?

यौन उत्पीड़न: 3 से 5 साल तक की जेल।

गंभीर यौन उत्पीड़न: 5 से 10 साल या उससे अधिक।

दुष्कर्म: कम से कम 10 साल की जेल, जिसे उपक्रैद तक बढ़ाया जा सकता है।

गंभीर परिस्थितियों में दुष्कर्म: उपक्रैद या कुछ मामलों में मृत्युदंड भी हो सकता है।

क्या इसमें जमानत मिल सकती है?
हां, लेकिन आसानी से नहीं। POCSO में कई गंभीर अपराध गैर-जमानती हैं। जमानत देने का फैसला अदालत करती है।

सुप्रीम कोर्ट महाराष्ट्र सरकार से बोला-आपको पब्लिक में बेनकाब करेंगे मुकदमों की सुनवाई में तेजी नहीं लाने पर फटकारा



ब्रह्मास्त्र ►► मुंबई

सुप्रीम कोर्ट ने जमानत का विरोध करने, लेकिन मुकदमों की सुनवाई में तेजी नहीं लाने पर महाराष्ट्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार हर मामले में जमानत का विरोध करती है, लेकिन ट्रायल जल्द पूरा कराने के लिए जरूरी कदम नहीं उठाती। कोर्ट ने चेतावनी दी कि अगर यही स्थिति रही तो वह सरकार को पब्लिक में बेनकाब करेगा। रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस शील नागू की बेंच एक विदेशी नागरिक की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी। आरोपी अपहरण और हत्या के मामले में गिरफ्तार है। उसने कोर्ट को बताया कि वह पिछले चार साल से जेल में है और इस दौरान उसका मामला ट्रायल कोर्ट में 86 बार लिस्ट हुआ, लेकिन उसे 53 बार कोर्ट में पेश ही नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोपी को ट्रायल कोर्ट में पेश नहीं करना महाराष्ट्र सरकार की गंभीर चूक है। अदालत ने कहा कि चार साल में 34 में से सिर्फ दो गवाहों की गवाही हो पाई है। यह स्थिति परेशान करने वाली है। महाराष्ट्र सरकार की ओर से पेश वकील ने अदालत को बताया कि अब राज्य सभी आरोपियों को हर सुनवाई की तारीख पर ट्रायल कोर्ट में पेश कर रहा

है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यों को मुकदमों की सुनवाई तेज करने के लिए स्पष्ट नीति बनानी चाहिए। अदालत ने ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया कि हर सप्ताह कम से कम चार गवाहों की गवाही दर्ज की जाए और इस आदेश को रिकॉर्ड पर रखा जाए। बेंच ने यह भी कहा कि अगर भविष्य में इस तरह के मामले अदालत के सामने आए तो ऐसे ही कड़े आदेश पारित किए जाएंगे।

